तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/10/19	अधि० उभयपक्ष उप० हैं बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस दि० 17/10/19 को पेश हो। मूल वाद की मिसल संलग्न है।	
17/10/19	अधि० उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गयी जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि वादी नें प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक वाद बाबत इस्तकरारहक, इन्फाज उजरती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में न्यायालय हाजा से प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करनें का आदेश पारित किया गया था। न्यायालय हाजा में प्रतिवादी नं० 2 को दि० 5/11/2008 को व प्रतिवादी नं० 3(1), 3(2) को दि० 9/5/2012 को सम्मन की सम्यक रूप से तामील होना मानकर एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए वादी (अप्रार्थीगण) का वाद दि० 18/9/2014 को डिक्री कर दिया गया। प्रतिवादी (प्रार्थीगण) को कभी भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया सम्मन प्राप्त नहीं हुआ और न ही प्रतिवादी नें कभी सम्मन को प्राप्त करनें से मना किया था और ना ही तामील कुनीन्दा नें प्रतिवादी के मकान पर सम्मन को चस्पा किया। तामील कुनीन्दा नें गलत व झूंठी रिपोर्ट की थी। न्यायालय द्वारा तामील कुनीन्दा की गलत व झूंठी रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही कर दावा डिक्री किया गया था जो निरस्त योग्य है। वादी (अप्रार्थी) नें उक्त एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी (प्रार्थीगण) को दि० 30.5.2016 को धमकी दी कि उसनें न्यायालय हाजा से एकतरफा डिक्री व आदेश प्राप्त कर लिया है अब वह आराजी पर कब्जा नहीं करनें देंगे। जिस पर जानकारी हुई थी उक्त एकतरफा डिक्री की जानकारी प्रतिपक्षीगण द्वारा आराजी पर आकर धमकी देने पर दि० 30/5/2016 को हुई इसलिए जानकारी की तिथि से वाद पत्र प्रस्तुत करनें की अवधि की गणना करना	

नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (2)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होना आवश्यक व न्यायसंगत है। इस बाबत अलग से प्रा० पत्र दफा 5 अवधि विधान अधिनियम भी पेश किया गया है। अतः प्रा० पत्र पेश कर निवेदन है कि दि० 18/9/2014 को पारित एकतरफा आदेश व डिक्री को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे। वाद को पुनः सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) पेश होने पर तलबी अप्रार्थी (वादी) जरिये नोटिस की गयी। जिस पर अप्रार्थी (वादी) नें उप० होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दि० 18.9.2014 को पारित किया गया है तथा प्रार्थीगण नें यह आवेदन दि० 17.6.2016 को पेश किया था प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है। प्रार्थीगण नें जानबूझकर गलत तथ्य अंकित किये हैं। तामिल कुनीन्दा पर जो आरोप लगाये हैं वो सम्पूर्ण गलत हैं। तामिल कुनीन्दा नें दो गवाहान की उपस्थिति में प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों की तामील करनें के लिए कहा और उन्होनें मना कर दिया इस पर चस्पानगी से तामिल की गयी थी जो प्रार्थीगण की उपस्थिति में हुई थी। प्रार्थीगण का यह कहना कि न्यायालय से उनके नाम की तामिल जारी नहीं हुई गलत है हकीकत में प्रार्थीगण की मौजूदगी में तामिल कुनीन्दा द्वारा सारी कार्यवाही की गयी है। प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी प्रारंभ से ही है उन्होनें जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी व एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित हुई थी जो बिलकुल सही तौर पर हुए हैं। न्यायालय हाजा में रामकन्या बेवा रमजीलाल, सीसी पुत्री रमजीलाल, कमली पत्नी रामस्वरूप नें एक रेन्सब वाद मन वादी (अप्रार्थी), रामपाल व रसाल देवी के खिलाफ पेश किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया	

गया जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गयी है। इसी आसामी बाबत रामपाल बनाम रामकन्या का दावा पेश किया गया था दोनों दावों को शामिलित करते हुए निर्णय पारित किया गया था जिसमें रामपाल बनाम रामकन्या का दावा डिक्री हुआ है जिसकी जानकारी भी प्रार्थीगण को है प्रार्थीगण ने सारे तथ्य छिपाते हुए यह आवेदन पेश किया है निर्णय व डिक्री की अनुपालना में नामान्तरकरण भी मेरे हक में भरे जा चुके हैं व राजस्व रिकार्ड में भी अमल हो गया है जिसकी जानकारी भी प्रार्थीगण को है प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है देरी का स्पष्टीकरण किया है वह पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी उसी दिन से ही थी दि० 30.5.2016 का जो कथन है वह पूरा का पूरा गलत है असलें उस दिन कोई जानकारी नहीं हुई बल्कि प्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय की तिथि से ही थी जो नामान्तरकरण मेरे हक में भरे हैं जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है उसकी जानकारी भी प्रार्थीगण को आरंभ से ही थी दि० 30/5/2016 से दि० 27/6/2016 के मध्य के संबंध में भी प्रतिदिन का खुलासा देरी के संबंध में प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने आवेदन के समर्थन में नकल आदेशिका दि० 23/6/2016 से 23/5/2013, आदेश दि० 18/9/14, डिक्री दि० 18/9/14 दीवानी प्रकरण सं० 259/2007 रामपाल बनाम रामकन्या पेश किये। तथा अपने समर्थन की नकलें पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की प्रारंभ से ही पूर्ण जानकारी थी। उनको रजिस्टर्ड नोटिस / समन भेजे थे प्राप्ति रसीद मौजूद है। दीवानी प्रकरण रामपाल बनाम रामकन्या में प्रतिवादी नं० 1 जो कि उसका नाम रामकन्या है यह प्रार्थीगण चौथी (प्रति० नं० 2) की माता है। प्रतिवादी नं० 1 रामकन्या द्वारा विस्तृत जवाब दावा पेश किया है। जवाब दावा में वाद पत्र को नकारा है जवाब पेश होने पर तनकिहात कायम की गयी उभयपक्ष की उपस्थिति के अनुसार वाद डिक्री हुआ था। प्रार्थी (प्रतिवादी) चौथी कौर बावजूद तामील के (सूचना के बावजूद) उपस्थित नहीं आयी जिसपर उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी है। वैसे भी प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हें जानकारी दि० 30/5/2016 को हुई। कतई माना जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नं० 1 रामकन्या जो कि प्रार्थीगण चौथी कौर की सगी माता है और रामकन्या ने वाद में पूर्ण रूप से शुरु से अन्त तक प्रतिवाद किया है यह माना जाने काबिल नहीं है कि वाद का निर्णय दि० 18/9/2014 को हो गया और जिसकी डिक्री की पालना में नामान्तरकरण की कार्यवाही होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हो गया हो और उसके लगभग दो वर्ष बाद दि० 30/5/2016 को प्रार्थी को जानकारी हुई हो क्योंकि प्रतिवादी नं० 1 रामकन्या शुरु से अन्त तक मुकदमें (वाद) में कन्टेस्ट कर रही थी ऐसी सूरत में प्रतिवादी चौथी (प्रार्थी) को कैसे जानकारी नहीं हुई स्वीकार योग्य नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 30/5/2016 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होना वह बता रही है तो उसने प्रार्थना पत्र उक्त इतना देरी से दि० 21.6.2016 को क्यों पेश किया है दि० 30/5/16 से 21/6/2016 की अवधि के बाबत, सीमा कन्डोन हेतु एक एक दिन का खुलासा करना चाहिए था जो नहीं किया है। किन्हीं स्वतंत्र लोगों के शपथ पत्र भी आवेदन के

शामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	समर्थन में पेश नहीं किये गये व जिसके प्रार्थी की ओर से आपत्ति की हो। जब प्रार्थिया धोसी की स्वर्ण की माँ रामकन्या शुरू से अन्त तक मय अभिभावक प्रकरण (वाद) में पैरवी कर रही थी तो प्रार्थिया (प्रतिवादी) धोसी को जानकारी नहीं होना और एकतरफा कार्यवाही धोसी के विरूद्ध दि० 5/11/2008 को ही हो कर वाद का निर्णय उभयपक्ष की सुनवाई के बाद दि० 18/9/15 को निर्णय होकर डिक्री पारित हुई है। दि० 5/11/2008 से 18/9/2015 तक लगभग 6 वर्ष तक वाद में प्रार्थिया धोसी की माता रामकन्या (प्रतिवादी नं० 1) नें मय अभिभावक पैरवी की, इतनें लम्बे अर्से के बाद निर्णय हुआ है और निर्णय के भी लगभग 2 वर्ष बाद इस प्रकार तथ्य छिपाकर तथा गलत तथ्य अंकित कर यह आवेदन पेश किया है जो काफी देरीना है। महज न्यायालय का समय खराब करनें की नियत से यह आवेदन पेश किया है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है।
	लिहाजा उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थिया सारहीन व तथ्यहीन होनें के फल स्वरूप खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। हुक्म आज दिनांक 17/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	[signature] उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)